

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 700677/16

संस्थित दिनांक-07.11.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. बालाप्रसाद पुत्र हरप्रसाद शर्मा उम्र 56 साल

2. पवन पुत्र बालाप्रसाद शर्मा उम्र 29 साल

निवासीगण ग्राम बिरखडी थाना गोहद चौराहा

जिला भिण्ड

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 18.05.17 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 498 ए/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 31.01.16 के उपरांत फरियादी दीपा पत्नी स्व० कृष्णकांत शर्मा को उसके नातेदार होते हुए जानबूझकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर एवं खाने पीने को न देने से उसके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा कारित कर उसके प्रति क्रूरता कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी श्रीमती दीपा की शादी अप्रैल 2010 में ग्राम बिरखडी से कृष्णकांत शर्मा के साथ संपन्न हुई थी। कृष्णकांत की मृत्यु दिनांक 31.01.16 को हो गयी, इसके बाद से आरोपीगण बालाप्रसाद (ससुर), पवन शर्मा (देवर) ने एक माह तक ठीक से रखा इसके बाद जरा जरा सी बात को लेकर प्रताड़ित करने लगे। जब उसने अपने माता पिता को यह बात बताई तो उन्होंने भी समझाया, किन्तु अभियुक्तगण परेशान करते तथा खाने पीने को भी परेशान करते तब फरियादी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध अप०क्र०-225/16 पर प्राथमिकी लेख कराई जिससे अपराध अनुसंधान में लिया गया। दौरान अनुसंधान साक्षीगण के कथन लेख किए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्तगण ने 31.01.16 के उपरांत फरियादी दीपा पत्नी स्व० कृष्णकांत शर्मा को उसके नातेदार होते हुए जानबूझकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर एवं खाने पीने को न देने से उसके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा कारित कर उसके प्रति क्रूरता कारित की ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में दीपा अ०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

6. फरियादी दीपा अ०सा० 1 यह कथन करती है कि अभियुक्त बालाप्रसाद मेरे ससुर और पवन कुमार मेरे देवर हैं। उसके पति स्व० कृष्णकांत शर्मा की मृत्यु करीब 2 साल पहले 31 जनवरी को हो गयी थी। उसके पति की मृत्यु के बाद आरोपीगण से मेरा मुंहवाद हो जाता था। वह आरोपीगण से खेती में हिस्सा देने की बात करती थी तो आरोपीगण मना करते थे। रोज रोज के मुंहवाद के कारण उसने पिछले साल सितंबर के महीने में आरोपीगण के विरुद्ध जमीन में हिस्सा मांगने पर मुंहवाद की रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट प्रपी० 1 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करती हैं। फरियादी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं करती है। उसे अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें फरियादी ने इस तथ्य से इंकार किया कि अभियुक्तगण उसे मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। इस तथ्य से भी इंकार करती है कि उसने इस बात के बारे में अपने माता पिता को और भाई बिल्लू, चाचा प्रेमनारायण को बताई थी तथा उसके चाचा और भाई, माँ ने आकर अभियुक्तगण को समझाया था लेकिन वे नहीं माने। साक्षी द्वारा प्राथमिकी प्रपी० 1 का बी से बी भाग “प्रताड़ित करने ..... परेशान हूँ, तथा पुलिस कथन प्र०पी० 2 का ए से ए भाग “फिर ..... रिपोर्ट की थी, के भाग लिखाए जाने से इंकार किया है।

7. न्यायदृष्टांत— शैलेन्द्र सिंह वि. म.प्र.राज्य 2005(2) एम.पी.एल.जे. पृष्ठ 228 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी महिला पर किया गया प्रत्येक प्रहार क्रूरता की परिभाषा में केवल उसी स्थिति में आयेगा जब यह महिला को आत्महत्या करने के लिये गहरी क्षति पहुँचे या उसके महत्वपूर्ण अंगों को खतरा उत्पन्न करने या दहेज हेतु उत्पीड़न देने के लिये प्रयुक्त किया जाये।

संहिता की धारा 498 ए में उपबंधित है—“जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।”

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

- (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री की आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है," या
- (ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसका या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

कूरता के संबंध में विभिन्न समयों पर मान० न्यायालय द्वारा अपने न्यायदृष्टांतों में कूरता की परिभाषा को स्पष्ट किए जाने हेतु अपना निष्कर्ष दिया। संहिता की धारा 498क के अधीन कूरता का अपराध गठित किये जाने संबंधी न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णय— 2007(भाग-3)जे.एल.जे.327पी.के.बाचसुपति विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2008(भाग-2)जे.एल.जे.19 लाखन लाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2008(भाग-1) जे.एल.जे. 346 भगवती बाई विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य तथा 2009 (भाग-1) जे.एल.जे. 291 लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य की ओर आकर्षित होता है जिनमें यह प्रतिपादित किया है कि कूरता और दहेज की मांग के बारे में स्पष्ट और तर्कपूर्ण व विश्वसनीय साक्ष्य हो तभी उस पर विश्वास किया जाना चाहिए।

8. उपरोक्त प्रावधान के संबंध में न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत मंजूराम कालिता विरुद्ध असम राज्य (2009) 13 एस०सी०सी० 330 : ए०आई०आर० 2009 एस०सी० (सप्ली०) 2056 की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 498 ए को वर्गीकृत कर निम्न रूप में कूरता के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट किया—

- 1—ऐसा कोई जानबूझकर किया गया आचरण जो कि ऐसी प्रकृति का है जिससे उक्त स्त्री आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो।
- 2—ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण जो कि उक्त स्त्री को गंभीर उपहति कारित करने की प्रकृति का हो।
- 3—ऐसा जानबूझकर किया गया कोई भी कृत्य जो कि ऐसी स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को, चाहे मानसिक या शारीरिक हो, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की प्रकृति का हो।

9. इस मामले में फरियादी दीपा अ०सा० 1 द्वारा खेती में हिस्सा मांगने की बात से मुंहवाद हो जाने का तथ्य अभिसाक्ष्य में अभिकथित किया है जो कि उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में किसी भी दृष्टि से कूरता की श्रेणी में नहीं आती है। फरियादी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में उसे किसी दहेज की

मांग के लिए प्रताडित किए जाने का कोई कथन नहीं किया है और जिस कारण से प्राथमिकी प्रपी0 1 लिखाया जाना बताया है वह भी खेती में हिस्सा मांगने का मुंहवाद का बताया है जो किसी भी दृष्टि से ऐसे आचरण की श्रेणी में नहीं आता है जो कि फरियादी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता हो अथवा ऐसा आचरण हो जो कि फरियादी दीपा को गंभीर उपहति कारित करने की प्रकृति का हो अथवा ऐसा जानबूझकर किया गया कोई भी कृत्य जो कि फरियादी के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को, चाहे मानसिक या शारीरिक हो, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की प्रकृति का हो। जहां तक प्राथमिकी प्रपी0 1 में उल्लेखित तथ्यों का प्रश्न है तो फरियादी द्वारा प्राथमिकी एवं पुलिस कथन में विनिर्दिष्ट भाग की ओर ध्यान दिलाए जाने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 के अधीन खण्डन करते हुए सारवान विरोधाभास एवं लोप दर्शाए हैं। ऐसे में अभियोजन का मामला अधिरोपित आरोप के संबंध में पूर्णतः ध्वस्त हो जाता है। अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं पाई जाती है। अतः वे उसके आधार पर दोषसिद्धि नहीं किए जा सकते हैं।

10. अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 498 ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

12. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश